

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ़

प्रार्थना पत्र सं. 320/2014. अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

निहाल सिंह आदि बनाम हवासिंह आदि
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2014	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी निहाल सिंह के द्वारा प्रस्तुत करने पर बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी प्रस्तुत सम्मन तलवाना पर जरिये सम्मन जारी हो। मिसल वास्ते तलबी दिनांक 10.11.2014 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखंड अधिकारी सूरजगढ़ जिला मुंझुनू</p> <p>10 ¹¹/₁₄ आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्म उपस्थित पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। प्रमाण पर है पत्रावली मत आदेशानुसार दिनांक 20/11/14 पेश हो</p> <p>20 ¹¹/₁₄ आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्म उपस्थित पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। प्रमाण पर है पत्रावली मत आदेशानुसार दिनांक 5/12/14 पेश हो</p> <p>5 ¹²/₁₄ आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्म उपस्थित पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। प्रमाण पर है पत्रावली मत आदेशानुसार दिनांक 9/12/14 पेश हो</p> <p>9 ¹²/₁₄ आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिक्म उपस्थित पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। प्रमाण पर है पत्रावली मत आदेशानुसार दिनांक 28/11/15 पेश हो</p>	

नाम्बर
अहकाम
हुक्म
में जा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
हकम

05/02

मीडियन अधिकारी
पर है। तिलक
16/06/22 को
रिहरी

16.6.22

मीडियन अधिकारी
पर है। तिलक
28.7.22 को
रिहरी

27/6/22

मूल दावा में मिहल नलकी की दावे के हक
पर आज यह पत्रावली दावा के प्राथमिक हक
मूल दावा नोट प्रेस में खारिज किया जा
पुछ ही इतिहास अब इस प्रामाण्य पर ली जाये
पत्रावली को ली जाये को प्रामाण्य नहीं ही कर।
प्रामाण्य पर खारिज किया जाये ही पत्रावली
किसल मुआर ली जाये से इस को हक 15
तक की ली जाये मूल दावा के प्राथमिक हक

उपखण्ड अधिकारी, सुरजगढ़